<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

रेफरेन्स/एलआर/4064/2006/नागौर

राजस्थान सरकार

प्रार्थी.....

बनाम

जोगेन्द्रभारती चेला सुन्दरभारती के कायम मुकाम सन्तोषभारती चेला जोगेन्द्रभारती महन्त–डोली बनाम जोगमाया वाके भाद्राजून धुमडा माता मंदिर साकिन माहीवाडा, तहसील आहोर जिला जालोर।

अप्रार्थी.....

<u>एकलपीठ</u>
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0पी0भटट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री समीर अहमद, अभिभाषक राजभारती जिन्हे प्रा0प. आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत पक्षकार बनाया गया।

––

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 04.02.2021

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 27–05–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि योगेन्द्र भारती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वारणी के प्रथम खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत 2009–28 के अनुसार

ख0न0242 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म रेली सोयम प्लस, ख0न0 229 रकबा 10 बीघ 5 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, ख0न0 229/1 रकबा 2 बिस्वा किस्म बैरा भूमि डोली बनाम जोगमाया माताजी मंदिर के स्वामित्व की दर्ज हुई है। उक्त खसरा नं0 242, 229, 229/1 के नये खसरा नं0 135 व 130 बनाये गये जिसके नवीन खसरा नंबर 291 रकबा 2.99 है0, 293 रकबा 1.63 है0 तथा 269 रकबा 0.95 है0 बने इसके अलावा पुराने खसरा नं0 242 मीन के भूमि एकीकीरण खसरा नं0 124 बिस्वा 12 बिस्वा व खसरा नं0 135 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा बने। इस प्रकार कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबरान में रकबा कम दर्ज है। यह भूमि डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया खातेदारी की भूमि है जो संवत 2009 में अप्रार्थी के अवैध रूप से अंकित कर दी गयी। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर जोगमाया जी के नाम अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। उभयपक्षों की सुनवाई बाद अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 27-05-2006 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करने की अनुशंषा के साथ मण्डल को प्रेषित किया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री जोगमाया जी की थी, उक्त भूमि पर से माफी मंदिर का नाम बिना किसी आदेश विलोपित करते अप्रार्थीगण का नाम अंकित कर दिया गया। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री जोगामायाजी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में राजकीय अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुये तर्क दिया कि उक्त खसरा नं0 242, 229, 229/1 के नये खसरा नं0 135 व 130 बनाये गये जिसके नवीन खसरा

नंबर 291 रकबा 2.99 है0, 293 रकबा 1.63 है0 तथा 269 रकबा 0.95 है0 बने इसके अलावा पुराने खसरा नं0 242 मीन के भूमि एकीकीरण खसरा नं0 124 बिस्वा 12 बिस्वा व खसरा नं0 135 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा बने। इस प्रकार कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबरान में रकबा कम दर्ज है। अतः जो रकबा माफी मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में कम अंकन किया है उसे पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज किया जाकर अंकन को सही किया जावे। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

6. विद्वान उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम वारणी के प्रथम खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत 2009-28 के अनुसार ख0न0242 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म रेली सोयम प्लस, ख0न0 229 रकबा 10 बीघ 5 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, ख0न0 229/1 रकबा 2 बिस्वा किस्म बैरा भूमि डोली बनाम जोगमाया माताजी मंदिर के स्वामित्व की दर्ज हुई है। उक्त खसरा नं0 242, 229, 229/1 के नये खसरा नं0 135 व 130 बनाये गये जिसके नवीन खसरा नंबव 291 रकबा 2.99 है0, 293 रकबा 1.63 है0 तथा 269 रकबा 0.95 है0 बने इसके अलावा पुराने खसरा नं0 242 मीन के भूमि एकीकीरण खसरा नं0 124 बिस्वा 12 बिस्वा व खसरा नं0 135 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा बने। इस प्रकार कल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबरान में रकबा कम दर्ज है। यह भूमि डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया खातेदारी की भूमि है जो संवत 2009 में अप्रार्थी के अवैध रूप से अंकित कर दी गयी। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की ही खुदकाश्त भूमि पर किसी

व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो और रिकार्ड में मंदिर मूर्ति का नाम नहीं हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

8. अतः रेफरेंस विधिक रूप से स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा रेफरेन्स में अंकित विवादित आराजी को पूर्वानुसार पुनः मंदिर श्री जोगमाया' के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। आदेश की सूचना अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य